

संख्या-पीसीएच-एचबी(1)15/02-टी0एस0-11- 39892
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
हिमाचल प्रदेश शिमला-9

शिमला-9 दिनांक

15, जनवरी, 2011


विषय: ग्राम पंचायत तकनीकी सहायकों को स्वास्थ्य संस्थान के सिविल कार्य की
देख-रेख हेतु अनुबन्धित करने।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या: एचएफडब्ल्यू-एच(एनआरएचएम)/

सिविल वर्क्स/2010 दिनांक 03.11.2010 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है ग्राम पंचायत क्षेत्रों में
स्वास्थ्य संस्थानों के प्राकलन/आकलन एवं सिविल कार्य की देख-रेख हेतु 1.5 प्रतिशत सेवा शुल्क (Service
Fee) की राशि पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अनुबन्ध आधार पर तैनात तकनीकी सहायकों को अनुबन्धित
करने की सहमति प्रदान की जाती है। तकनीकी सहायकों को प्रदान किए जाने वाले सेवा शुल्क (Service
Fee) की अदायगी सम्बन्धित पंचायत के खाते में की जाये, जिससे यह राशि तकनीकी सहायकों को प्रदान की
जायेगी।


भवदीय,


निदेशक

पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त- 39893-981 शिमला-9 दिनांक 15, जनवरी, 2011
प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।


निदेशक

पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-9